PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No............ DATE 27-Mar-2023

It is certified that an inspection team headed by Dr Pankaj Juyal.... from P.H.C. Parsundakhal........... inspected Atal Utkrisht Govt. Inter College Kandara, Pauri...... on 27-Mar-2023...... and found that the A.U.G.I.C. Kandara, Pauri has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the School building and the campus as per the norms prescribed by the State Government.

The above certificate is valid for a period of one year.

चिकित्साधिकारी
रा०बा०स्वा०कार्यक्रम
प्रा०स्वा०के०-परसुन्डाखाल

Signature with Seal :

Name : Dr. Pankaj Juyal

Designation : Medical Officer

To,

Principal

Atal Utkrisht Govt. Inter College

Kandara, Pauri, Pauri Garhwal

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।
ईमेल–cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0–01334–265700

पत्रांकः न–10(2)/सीएफओ–PWL/2021 दिनांकः मार्च 10 . 2021।

स्वामी/प्रबन्धक
M/S Government Intermideate College,
Kandara, Distt-Parui Garhwal

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–40220853, दिनांकः 24.02.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से **03 माह के लिये इस आधार पर प्रदान किया जा रहा है कि मानचित्र सम्बन्धी सभी औपचारिकता एंव मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर ऑन लाईन Pre-Operational Noc हेतु आवदेन किया जाना आवश्यक होगा।**

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कर्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन पौड़ी को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

E-mail: [illegible]@gmail.com/
E-mail: [illegible]@nic.in
Phone/Fax No.-01368-[illegible]

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–पौड़ी।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय इण्टर कॉलेज, कण्डारा,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक 1332/चार–प्रावि0/निरीक्षण–आख्या/2020–21दि0 06.03.2021

संदर्भ :– <u>जिलाधिकारी, गढ़वाल के कार्यालय पत्रांक–975/24–एफ0सी0/(2019–20) दिनांक 22.02.2021।</u>

<u>विषय:–</u> <u>अटल उत्कृष्ठ विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 की मान्यता हेतु सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज कण्डारा, का निरीक्षण विभागीय अभियन्ता के द्वारा किया गया उनकी निरीक्षण आख्या के अनुसार विद्यालय के में कुल 06 कक्षा–कक्ष निर्मित है। जिनमें से 05 कक्ष पठन पाठन हेतु सुरक्षित है तथा शेष 01 कक्ष जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड पौड़ी।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :– 1 जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2 मुख्य शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड पौड़ी।